न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 62/2024 – निगरानी

1. सुवा पुत्र नन्दा नाथ, निवासी नया गांव, माली खेड़ा, तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।
2. शंकर पुत्र नन्दा नाथ, निवासी नया गांव, माली खेड़ा, तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।
3. कालूराम पुत्र शंकर नाथ, निवासी नया गांव, माली खेड़ा, तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।
4. रामेश्वर पुत्र बालू माली, निवासी नया गांव, माली खेड़ा, तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत बालापुरा जरिये सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालापुरा तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।
2. रामकुवांर पुत्र सोहनलाल माली, निवासी नया गांव, माली खेड़ा, तहसील फूलिया कलां जिला शाहपुरा।

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत बालापुरा द्वारा दायर पट्टा क्रमांक 20, दिनांक 22.01.2022

उपस्थित –

1. श्री योगेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – निगराकारान की ओर से
2. श्री शिवराज कुमावत अधिवक्ता – गैर निगराकर संख्या 01 की ओर से
3. श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकर संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 26.06.2024

1. निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नया गांव माली खेड़ा, ग्राम पंचायत बालापुरा, तहसील फूलिया कलां में 60 वर्षों से पूर्वजों के समय से निगराकारान की गोबर की खाद, पेड़ की पतिया, मवेशी एवं कृषि के अवशिष्ट पदार्थ डालने हेतु कब्जाशुदा 6 रोड़िया स्थित हैं। जिसके पूर्व में राधाकिशन माली का खेत, पश्चिम में सुवाजी लुहार का मकान, उत्तर में सोहनलाल / श्रीकिशन माली का बाड़ा, दक्षिण–मालीखेड़ा बच्छखेड़ा मार्ग से सटवा सरकारी नहर है। जिसका कुलिया नाप 135 गुणा 35 फीट है। उक्त रोड़ियों के कब्जे बाबत् जानकारी विपक्षी सं. 01 व 02 को है। विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 15.09.2021 को एक नोटिस निगराकारान को प्रेषित किया, जिसमें विपक्षी सं. 01 ने मौके पर कब्जा माना। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से व समझाइश से

जिला कलक्टर
शाहपुरा

गैर निगराकार सं. 01 ने निगराकारान के विरूद्ध उक्त नोटिस के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। गैर निगराकार सं. 01 ने अर्थात् सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विरूद्ध जाकर 50 वर्ष से अधिक का कब्जा नहीं होते हुए भी एवं मौके पर कोई पुराना कच्चा मकान नहीं होते हुए भी खाली पड़ी बेशकीमती ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के पट्टे एक ही परिवार के सभी 06 व्यक्तियों के नाम पर अवैध रूप से 06 अवैधानिक पट्टे जारी कर दिये तथा निगराकारान की रोडियों में से रास्ते निकाल दिये। उक्त 06 अवैधानिक पट्टों में से एक पट्टा सं. 20 दिनांक 22.01.2022 को गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में पंचायत राज अधिनियम नियम 1996 के नियम 157 (ए) के तहत पट्टा जारी करने की पालना नहीं की गई। एक ही दिनांक 22.01.2022 एवं 05.02. 2022 को बिना विधि अनुसार प्रस्ताव लिये बगैर Below DLC Rate पर Access Area का Non BPL Person होते हुए, ऑपन टेण्डर किये बगैर एक ही परिवार के सभी 06 सदस्यों के सभी 06 व्यक्तियों के नाम पर अवैध पट्टे जारी कर दिये। गैर निगराकार की उम्र ही लगभग 45 वर्ष है, तो उसके पैदा होने से पूर्व ही उसका कब्जा 50 वर्ष से अधिक का कब्जा ग्राम पंचायत बालापुरा ने कैसे प्रमाणित मान लिया। जबकि पट्टा जारी करने की प्रथम व सर्वप्रमुख शर्त / नियम है कि आवंटी 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा हो। सही तथ्य यह है कि मौके पर भौतिक रूप से आज तक गैर निगराकार सं. 02 का कभी कब्जा नहीं रहा एवं वहां मौके पर कोई कच्चा पक्का मकान, पुराना घर नहीं था व नहीं है। पूर्व में भी ग्राम माली खेड़ा, उर्फ नया गांव, पटवार हल्का क्षेत्र बालापुरा, तहसील फूलिया कलां की सरहद में आ रही आबादी भूमि पर विवाद हुआ तब दिनांक 26.10.2021 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी फूलिया कलां के कार्यालय आदेश द्वारा निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक जारी की गई। इसके बावजूद भी गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में पंचायत राज अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों के विरुद्ध जाकर नियम 145 से लेकर 157 की अवहेलना की गई। गैरनिगराकार सं. 02 ने गैरनिगराकार सं. 01 के कार्यालय में झूठा शपथपत्र पेश किया। एक ही परिवार के सभी 06 सदस्यों के नाम पर सभी 06 अवैध पट्टे गैरनिगराकार सं० 01 द्वारा बिना प्रस्ताव लिये/अवैधानिक नियम विरूद्ध प्रस्ताव द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी करने की सभी प्रक्रियाओं, आवश्यक दस्तावेजों, मौके पर भूमि का भौतिक सत्यापन एवं गलत पडौसान वर्णितकर, बिना विधिक प्रक्रिया के एक ही दिनांक 22.01.2022 एवं 05.02.2022 को अवैधानिक रूप से पट्टा जारी करना प्रमाणित होता है। दिनांक 20.05.2023 को गैरनिगराकार सं. 02 व उसके परिजनों द्वारा निगराकारान की रोडियों को हटाने के उद्देश्य तथा उसमें से रांस्ता निकालने को लेकर विवाद होने पर निगराकारान को उक्त अवैध पट्टे की जानकारी हुई। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 22.01.2022 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रस्तुत निगरानी न्यायालय कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 24.07.2023 को दायर की जाकर दिनांक 01.01.2024 को प्रकरण स्थानान्तरण होकर न्यायालय अतिरिक्त जिला

जिला कलक्टर
शाहपुरा

कलक्टर शाहपुरा प्राप्त होने से दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात दिनांक 06.02.2024 को प्रकरण स्थानांतरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 एवं गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता गण द्वारा अधिकार पत्र पेश किये गये।

3. गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि निगराकारान् ने 60 वर्षो से कब्जे शुदा रोड़ियां स्थित होना अंकित किया जो गलत होकर अस्वीकार है। मालीखेड़ा बच्छखेड़ा मार्ग से सटवा नहर होना स्वीकार है। उक्त मार्ग की सीमा से सटवा गैर निगराकार सं. 02 की कब्जेशुदा जायदाद स्थित है। मूलतः निगराकार सं. 01 लगायत 03 एक ही परिवार के सदस्य है तथा निगराकार सं. 04 दूसरे परिवार का है। इस तरह कुल दो परिवारों की छः रोड़िया होने का तथ्य प्रथम दृष्ट्या ही गलत है। 60 वर्षो से आबादी भूमि पर 135 गुणा 35 फिट पर निगराकारान् का कब्जा आज भी मौजूद होना गलत अंकित किया है, रास्ते (सड़क) की खाई/नाली जो सड़क का भाग है, में गोबर आदि के अवरोध उत्पन्न करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 15.09.2021 से लगभग 01 माह पूर्व निगकारान् के द्वारा आबादी सड़क से सटवा रोड़िया डालना प्रारम्भ करने पर पंचायत के द्वारा नोटिस दिया जाकर विधिक कार्यवाही कर निगराकारान् को बेदखल कर दिया, क्योंकि जिस जगह पर निगराकारान ने रोडिया डालने का प्रयास किया वह जगह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 161 के तहत रास्ते की भूमि का भाग होने से रोड़िया हटा दी गई। निगराकारान् का उक्त स्थान पर कोई कब्जा नहीं था तथा गैर निगराकार संख्या 02 को पट्टा उसके पुश्तनी कब्जे के आधार पर दिया गया। निगराकारान के अनुसार भी रोड़ियों से रास्ते निकाल दिये गए अर्थात् रोड़ी थीं भी तो रास्ते की सीमा में थीं। भूमि पर अवैध कब्जा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस निगरानी के माध्यम से रोड़ की सीमा में निगराकारान अवैध कब्जा करना चाहते है। इस कारण गलत तथ्यों पर निगरानी पेश की गई है। गैर निगराकार सं. 02 को उसके पुश्तैनी कब्जे के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। निगराकारान का कथन है कि गैर निगराकार की उम्र लगभग 45 वर्ष है, तो कब्जा 50 वर्ष से अधिक ग्राम पंचायत ने कैसे मान लिया? जवाब में निवेदन है कि यह पटट्ा पुश्तैनी कब्जे के आधार पर दिया गया है। स्वयं निगराकारान् सं. 03 की उम्र 42 वर्ष अंकित की है, और कब्जा रोड़ियां डालकर 60 वर्ष से अधिक बता रहे है। इसी तरह निगराकारान् का कथन है कि गैर निगराकार सं. 02 का कभी कब्जा नहीं रहा, जबकि निगरानी के पैरा सं. 01 में उत्तर का पड़ौस सोहनलाल पुत्र श्री किशन माली का बाड़ा अंकित किया है। इस प्रकार स्वयं निगराकारान् अपनी निगरानी से गैर निगराकार सं. 02 का कब्जा होना स्वीकार कर रहे हैं। गैर निगराकार सं. 02 को जिस स्थान का पट्टा दिया गया उस पुश्तैनी जायदाद बाबत् उपखण्ड अधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया गया था। इस कारण गैर निगराकार सं. 02 को वैधानिक रूप से पट्टा जारी किया गया है जिसको निगराकारान खारिज कराने के अधिकारी नहीं हैं। पट्टे के पड़ौस मौके की स्थिति के अनुसार अंकित किये हैं। जिसके दक्षिण दिशा में आम रास्ता सड़क है, सड़क की खाई (नाली) में निगराकारान गोबर डालकर रास्ता रोकना चाहते हैं जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से यह निगरानी पेश की गई जो निरस्तनीय है। पंचायत राज अधिनियम और कानून में एक व्यक्ति या एक परिवार को एक से अधिक आवासीय पुश्तैनी पट्टे जारी करने पर कोई रोक नहीं है। गैर निगराकार सं. 02 को पुश्तैनी कब्जे के आधार पर वैधानिक रूप से

जिला कलक्टर
शाहपुरा

पट्टा जारी किया गया है। गैर निगराकार सं. 02 के पक्ष में पट्टा जारी होकर पंजीयन हो चुका है इसलिये पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होने से निगरानी श्रवण योग्य नहीं है। इस कारण निगराकारान ने भी श्रीमान् सिविल न्यायालय, शाहपुरा में एक वाद पत्र 41/2023 प्रस्तुत किया हुआ है। अतः निगराकारान की ओर से प्रस्तुत इस निगरानी को खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

4. गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम मालीखेड़ा ग्राम पंचायत बालापुरा में 60 वर्षों से पूर्वजों के समय से निगराकारान की गोबर की खाद, पेड़ की पतिया, मवेशी एवं कृषि के अवशिष्ट पदार्थ डालने हेतु कब्जाशुदा 6 रोड़ियां स्थित होने एवं रोड़ियों की जानकारी जवाबदार को होने का तथ्य सर्वथा असत्य होकर अस्वीकार है। निगराकारान् ने काल्पनिक रूप से पड़ौस दर्ज किये है। ऐसी कोई रोड़ियां न तो पूर्व में मौजूद थी व न वर्तमान में है। निगराकारन ने मनमकसूद तरीके से नाप अंकित किया है। दिनांक 15.09.2021 से लगभग 01 माह पूर्व निगकारान के द्वारा आबादी सड़क से सटवा रोड़िया डालना प्रारम्भ करने पर पंचायत के द्वारा नोटिस दिया जाकर विधिक कार्यवाही कर निगराकारान को बेदखल कर दिया, क्योंकि जिस जगह पर निगराकारान ने रोड़िया डालने का प्रयास किया वह जगह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 161 के तहत रास्ते की भूमि का भाग होने से हटाये जाने का आदेश किया जाकर तत्काल रोड़िया हटा दी गई। जवाबदार को पुश्तैनी कब्जा चले आने से तथा कच्चा पक्का निर्माण भी तत्समय होने व काबिज होकर निवासरत होने के कारण व उपयोग उपभोग में लेते चले आने के कारण विधि सम्मत तरीके से सभी प्रक्रियाओं का पूर्ण रूप से पालना कर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। जवाबदार स्वयं वहां वर्षों से निवासरत है, जवाबदार के मवेशी, चारा, पानी कृषि उपकरण वर्षों से वहीं रहते चले आ रहे हैं। आबादी भूमि के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अविधिक रूप से यदि ऐसा कोई आदेश जारी भी किया गया हो तो उसकी जानकारी जवाबदार को नहीं है। जवाबदार को जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वहां पूर्व में कच्चा घर बना हुआ था जिसके गिर जाने से जवाबदार के द्वारा करीब 20 वर्ष पूर्व टिन शेड डाला जाकर निवासरत है। जवाबदार को जिस समय पट्टा जारी किया उस समय भी जवाबदार का टिन शेड मौजूद था जो पट्टा मिसल में संलग्न फोटोग्राफ से जाहिर होता है। निगराकारान् ने गलत तथ्यों के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। जवाबदार के पट्टा शुदा स्थान पर विद्युत कनेक्शन भी विगत 20 वर्षों जवाबदार के पिता नाम से होकर उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। इन सभी तथ्यों से निगराकारान् पूर्णतया वाकिफ होने के बावजूद भी गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है। निगराकारान को उक्त पट्टे की जानकारी दिनांक 20.05.2023 को रोड़ियां हटाने व रास्ता निकालने से होने का कथन सर्वथा असत्य होकर अस्वीकार है। जवाबदार के उपरोक्त जगह पर पुश्तैनी कब्जा होने एवं जंवाबदार के रहवास, उपयोग उपभोग में चली आने के तथ्य की जानकारी निगराकारान् को प्रारम्भ से ही है। जवाबदार के पक्ष में पट्टे जारी किये जाने से पूर्व अपनाई गई सभी प्रक्रियाओं की पुख्ता रूप से जानकारी निगराकारान् को तत्समय से ही थी। जवाबदार के पक्ष में जारी पट्टे का पंजीयन दिनांक 28.02.2022 को हो चुका है इसलिये पंजीबद्ध पट्टे को निरस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का होने से निगरानी श्रवण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकारान की ओर से प्रस्तुत इस निगरानी को खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर
शाहपुरा

5. प्रकरण में निगराकारान अधिवक्ता, गैर निगराकार संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता की वहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकारन् की ओर से वहस प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि गैर निगराकार सं. 01 ने अर्थात् सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम के नियमों के विरूद्ध जाकर 50 वर्ष से अधिक का कब्जा नहीं होते हुए भी एवं मौके पर कोई पुराना कच्चा मकान नहीं होते हुए भी खाली पड़ी वेशकीमती ग्राम पंचायत की आवादी भूमि के पट्टे एक ही परिवार के सभी 06 सदस्यों पिता, माता, 2 पुत्र एवं 2 पुत्रवधुओं के नाम पर अवैध रूप से 06 अवैधानिक पट्टे जारी कर दिये तथा निगराकारान की रोडियों में से रास्ते निकाल दिये। उक्त 06 पट्टों का कुल माप 14484 वर्गफुट है जो कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से वाहर है। उक्त 06 अवैधानिक पट्टों में से एक पट्टा सं. 20 दिनांक 22.01.2022 को गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पट्टा पत्रावली में प्रस्तुत शपथ पत्रों पर दिनांक भी अंकित नहीं है। पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 के तहत पुश्तैनी पट्टा जारी करने के लिए 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होना आवश्यक है। आधार कार्ड के अनुसार गैर निगराकार संख्या 02 की उम्र वर्तमान में 50 वर्ष से कम है तो 50 वर्ष का कब्जा कैसे हो सकता है। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा दिनांक 18.03.2024 को 14 व्यक्तियों के शपथपत्र पेश किये गए। जो कि फर्जी थे। निगराकारान द्वारा इन 14 व्यक्तियों में से 03 के शपथपत्र वापस पेश किये अर्थात् गैर निगराकार सं. 02 द्वारा झूठे शपथ पत्र पेश किये गए। साथ ही दिनांक 06.05.2024 को निगराकार सं. 02 द्वारा पेश फोटोग्राफस पर ना तो दिनांक अंकित है और ना ही स्थान का अंकन है। ऐसे में इन फोटोग्राफस की कोई प्रमाणिकता नहीं है। अतः निगराकारान की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर उक्त विवादित पट्टे को खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

6. अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से वहस प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि निगराकार संख्या 01 द्वारा विधि पूर्ण प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया गया है। निगराकार संख्या 01 लगायत 04 मे मूलतः 2 परिवार हैं। निगराकारान कहते हैं कि हमारी 6 रोड़ियां थी। यह तथ्य गलत है इनकी रोड़ियां ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति एवं समझाइश से हटवा दी गई थी। पट्टा जारी होने की जानकारी निगराकारान को पहले से थी फिर भी लगभग 1 साल 6 महीने बाद निगरानी पेश की। किसी भी दस्तावेजात में तारीख का अंकन होना गलती से रह भी जाता है तो दस्तावेज गलत नहीं माना जा सकता। अतः निगराकारान की निगरानी खारिज करने के आदेश प्रदान करावें।

7. अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से वहस प्रस्तुत कर जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत बहस से सहमत होना जाहिर किया। साथ ही वताया कि एक ही परिवार के सदस्यों को ग्राम पंचायत पट्टा जारी कर सकती है। जहां तक पट्टेधारियों की उम्र 35 /40/50 वर्ष कुछ भी हो यह मायने नहीं रखता क्योंकि पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। निगराकारान की उम्र 50

जिला कलक्टर
शाहपुरा

वर्ष, 42 वर्ष, 55 वर्ष व 65 वर्ष है फिर भी 60 वर्षों से रोड़ियों का कब्जा बता रहे है। निगराकारान ने स्वयं रोड़ियों के उत्तर में सोहन लाल का अस्तित्व स्वीकार किया है। उक्त पट्टा अभियान में जारी होने से स्टाम्प वगैरह पर तारीख का अंकन भूल वश रह गया। कब्जे के फोटोग्राफ्स पट्टा पत्रावली में लगे हुए है। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा दिनांक 18.03.2024 को 14 व्यक्तियों के शपथपत्र पेश किये गए। निगराकारान् द्वारा उक्त 14 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को बरगला कर पास स्वयं के पक्ष में शपथ पत्र पेश किये है। गैर निगराकार संख्या 02 का संख्या का विवादित पट्टा स्थल पर कच्चा मकान बना हुआ था, जिसे गिराकर पक्का निर्माण शुरू करते ही प्रकरण में न्यायालय आप द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली में उक्त कच्चे मकान की फोटो लगी हुई है। जिससे गैर निगराकार संख्या 02 का पूर्ववर्ती समय से कब्जा होना सिद्ध होता है। अतः निगराकारान की निगरानी खारिज फरमायी जावे।

8. प्रस्तुत बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकारान द्वारा अपनी निगरानी में यह जाहिर किया कि गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 को अवैध तरीके से पट्टा जारी किया गया। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा सम्पादित पत्रावली का निरीक्षण किया गया गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा स्वयं के पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने के लिए आवेदन ग्राम पंचायत बालापुरा गैर निगराकार संख्या 01 के यहां प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 08.11.2021 को मय फीस के जमा करते हुए भूखण्ड़ विक्रय रजिस्टर में दर्ज करते हुए नजरी नक्शा बनाकर पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 20.11.2021 को पत्रावली में नियम 146 के अन्तर्गत तीन पंचो द्वारा मौका पर्चा बनाकर पेश करने का आदेश दिया गया। तीन वार्ड पंचो द्वारा दिनांक 04.12.2021 को मकान गैर निगराकार का पुश्तैनी होने की सिफारिश के साथ मौका निरीक्षण किया गया। दिनांक 06.12.2021 को उपस्थित सदस्यों ने नियम 147 के तहत सर्व सम्मति से राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 ख के तहत पट्टा जारी करने एवं नियम 148 के तहत एक मास की अवधि का आपत्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। ततपश्चात कोई आपत्ति नहीं आने से नियम 149 के तहत आपत्तियों का निस्तारण बकाया नहीं होने से दिनांक 20.01.2022 को गैर निगराकार संख्या 02 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 ख के तहत 200/— रूपये पंचायत कोष में जमा कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में दिनांक 22.01.2022 को गैर निगराकर संख्या 02 को स्वयं के पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली में गैर निगराकार संख्या 02 के कच्चे मकान का फोटो संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टा स्थल पर गैर निगराकार का कब्जा था। जहां तक प्रश्न एक ही घर के व्यक्तियों का पुश्तैनी मकान का पट्टे जारी करने का है तो राजस्थान पंचायती राज नियम में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि एक ही परिवार के सदस्यों को एक से अधिक पुश्तैनी मकान के पट्टे जारी नही कर सकते हैं व वह भी तब जब सब बालिग एवं शादी शुदा हो। जहां तक ग्राम पंचायत द्वारा संधारित पट्टा पत्रावली में शपथ पत्रों पर दिनांक नहीं

जिला कलक्टर
शाहपुरा

होने का प्रश्न है तो यह एक मानवीय भूल है जिसकी सजा गैर निगराकार को देना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य होकर गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा यथावत रहने योग्य है। अतएव–

आदेश

9. निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत बालापुरा पट्टा संख्या 20 दिनांक 22.01.2022 अस्वीकार की जाकर उक्त पट्टे को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत बालापुरा को पालनार्थ प्रषित किया जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)
सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर,
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा